राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–03/2025

गीता देवी बनाम् सरिता देवी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–12.09.2025 तथा दिनांक–14.02.2025, को की गई, जिसमें वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार द्वारा वकालतनामा दायर किया गया था, परन्तु उक्त दोनों सुनवाई की तिथि को वह अनुपस्थित रहे तथा प्रतिवादी श्रीमती सरिता देवी सभी सुनवाईयों में अनुपस्थित रहीं। **निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना की ओर से श्री आशुतोष राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

यह वाद वादी श्रीमती गीता देवी, पति–श्री सीताराम सिंह, ग्राम–खोरैठा, थाना–बिक्रम, जिला–पटना के परिवाद से उद्भूत है।

वादी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी श्रीमती सरिता देवी, नगर पंचायत बिक्रम में वर्ष–2020 क चुनाव में मिथ्या शपथ–पत्र के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए, निर्वाचन मे विजय रहीं थी। उनके द्वारा आयोग को सूचित किया गया है कि श्रीमती सरिता देवी, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–14–सह–मुख्य पार्षद, नगर पंचायत बिक्रम रहीं है। उनका नाम वर्ष–2000 के बिक्रम नगर पंचायत के वार्ड संख्या–07 एवं वार्ड संख्या–14 के मतदाता–सूची में दर्ज है। इस आधार पर उनके द्वारा प्रतिवादी की सदस्यता समाप्त करने का अनुरोध किया गया।

प्रतिवादी अपने बचाव के लिए उपस्थित नहीं हुई, परन्तु जिला प्रशासन की प्रतिवेदन पत्रांक–4909/निर्वा0, दिनांक–26.10.2024 से स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में यह अंकित किया गया है कि उनका नाम बिक्रम नगर पंचायत के दो वार्डों क्रमशः वार्ड संख्या–14 के मतदाता–सूची क्रमांक 175 तथा वार्ड संख्या–07 के मतदाता–सूची क्रमांक–628 पर अंकित है। उनके द्वारा वार्ड संख्या–07 के मतदाता–सूची से नाम विलोपित कराये जाने हेतु प्रपत्र–03 दिये जाने की घोषणा भी अंकित किया गया है। अतः वादी का दावा कि उनके द्वारा दो वार्डों के मतदाता–सूची में नाम दर्ज होने की सूचना छुपायी गयी है, सत्य नहीं पाया गया। अतः परिवादी/वादी के अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
21.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
21.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–03/2025 298 पटना, दिनांक 21.1.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–विकास शाखा प्रभारी, पटना को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

21/01/26

विशेष कार्य पदाधिकारी